भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *105

27.07.2026 को उत्तर के लिए

प्रदूषण नियंत्रण, नदी पुनरुद्धार और पर्यावरण संबंधी मुद्दों का प्रशासन

***105. श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी :**
श्री जगदम्बिका पाल :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देशभर में वायु गुणवत्ता में सुधार, जल प्रदूषण को नियंत्रित करने और नदियों के पुनरुद्धार के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी), नमामि गंगे मिशन और अन्य प्रमुख पहलों के अंतर्गत क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान वनीकरण, मैंग्रोव पुनरुद्धार, आर्द्रभूमि संरक्षण और प्लास्टिक-जनित प्रदूषण से निपटने में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) 'परिवेश' पोर्टल के माध्यम से शीघ्र स्वीकृति, पर्यावरण संबंधी स्वीकृतियों में पारदर्शिता में सुधार करने और अवैध खनन, प्रदूषण और नदी पारिस्थितिकी तंत्र पर अतिक्रमण के विरुद्ध कड़ाई से प्रवर्तन सुनिश्चित किए जाने सहित पर्यावरण संबंधी प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में सुखनाई नदी और पर्यावरण की दृष्टि से प्रभावित अन्य नदियों सहित गंगा बेसिन के बाहर प्रदूषित अथवा पारिस्थितिकीय रूप से संकटग्रस्त नदियों की पहचान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त नदियों के पुनरुद्धार, प्रदूषण उपशमन, मल-जल शोधन, गाद निकालने, पुनरुद्धार और संरक्षण के लिए प्रदत्त किसी विशेष सहायता सहित किए गए अथवा किए जाने वाले अन्य उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (ङ) : विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

“प्रदूषण नियंत्रण, नदी पुनरुद्धार और पर्यावरण संबंधी मुद्दों का प्रशासन” के संबंध में श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी और श्री जगदम्बिका पाल द्वारा दिनांक 27.07.2026 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *105 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ङ) शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण का समाधान करने के उद्देश्य से, सरकार द्वारा वर्ष 2019 में देश भर के 130 शहरों में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) शुरू किया गया था। यह केंद्र और राज्य सरकारों, शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) और अन्य हितधारकों के समन्वित प्रयासों से जुड़ी एक बहु-क्षेत्रीय पहल है। एनसीएपी शहर, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की स्वच्छ वायु कार्य योजनाओं के माध्यम से स्रोत विशिष्ट शमन उपायों पर जोर देता है और इसकी निगरानी केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर गठित विभिन्न समितियों द्वारा की जाती है।

वित्त वर्ष 2019-20 से वर्ष 2025-26 के दौरान वायु प्रदूषण शमन उपायों को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण अंतराल वित्तपोषण के रूप में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के तहत लक्षित शहरों को 16423.56 करोड़ रुपये का वायु गुणवत्ता प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन अनुदान जारी किया गया है।

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण का समाधान करने के लिए, सरकार ने दिल्ली-एनसीआर और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की समस्याओं के बेहतर समन्वय, अनुसंधान, पहचान और समाधान के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 के तहत वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की स्थापना की है।

एनसीएपी के तहत 130 शहरों द्वारा केंद्रित और समन्वित कार्यों ने सकारात्मक परिणाम दिखाए हैं, जिसमें वर्ष 2017-18 की तुलना में वर्ष 2025-26 के दौरान 108 शहरों में वार्षिक पीएम10 की सांद्रता में कमी दर्ज की गई है, जिसमें 72 शहरों में 20% से अधिक की कमी और 26 शहरों में 40% से अधिक की कमी दर्ज की गई है। इसके अलावा, वर्ष 2017-18 के छह शहरों की तुलना में वित्त वर्ष 2025-26 में 14 शहरों ने राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानकों (मानक $\leq$ 60 $\mu g/m^3$) को पूरा किया।

जल शक्ति मंत्रालय गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के पुनरुद्धार के लिए वर्ष 2014-15 में शुरू की गई नमामि गंगे कार्यक्रम (एनजीपी) केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में लागू कर रहा है। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत, गंगा नदी की सफाई और पुनरुद्धार के लिए विविध और समग्र उपाय किए गए हैं जिसमें अपशिष्ट जल शोधन, नदी के किनारे प्रबंधन, ई-फ्लो सुनिश्चित करना, ग्रामीण स्वच्छता, वनीकरण, जैव विविधता संरक्षण, सार्वजनिक भागीदारी शामिल है। अब तक 43,326 करोड़ रुपये की लागत की कुल 527 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) के तहत, सरकार गंगा बेसिन की नदियों को छोड़कर देश की अन्य नदियों के लिए कच्चे सीवेज को रोकने और दूसरी तरफ मोड़ने, सीवरेज प्रणालियों के निर्माण, सीवेज शोधन संयंत्रों की स्थापना, कम लागत वाली सफाई व्यवस्था, नदी के सामने/स्नान घाट विकास आदि से संबंधित विभिन्न प्रदूषण निवारण कार्यों को लागू करती है।

अब तक, एनआरसीपी ने देश के 17 राज्यों के 100 शहरों की 58 नदियों को शामिल किया है जिसकी 8,975 करोड़ रुपये की कुल स्वीकृत लागत है और प्रतिदिन 3,026 मिलियन लीटर (एमएलडी) सीवेज शोधन की क्षमता विकसित की गई है।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय आर्द्रभूमि के संरक्षण और प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण योजना (एनपीसीए) नामक केंद्र प्रायोजित योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करता है। एनपीसीए के तहत वर्ष 2023-24 से आर्द्रभूमि के संरक्षण और प्रबंधन के लिए 70.87 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण योजना (एनपीसीए), 2024 के लिए दिशानिर्देश जारी किया है, जो आर्द्रभूमि के लिए समन्वित और वैज्ञानिक ढांचे पर राज्य सरकार और राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरणों को मार्गदर्शन प्रदान करता है। भारत ने रामसर साइट कन्वेंशन के तहत संरक्षण के लिए 100 आर्द्रभूमियों को अधिसूचित किया है और इसका रामसर साइट नेटवर्क एशिया में पहले और दुनिया में तीसरे स्थान पर है।

इसके अलावा, मंत्रालय ने देश में आर्द्रभूमि के संरक्षण और प्रबंधन के लिए भी कई कदम उठाए हैं, जिनमें एक समर्पित आर्द्रभूमि वेब पोर्टल (**https://indianwetlands.in**), आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन में लोगों और हितधारकों की भागीदारी के लिए मिशन सहभागिता तथा आर्द्रभूमि बचाओ अभियान, रामसर स्थलों के अद्वितीय संरक्षण मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए अमृत धरोहर पहल शामिल हैं। एनपीसीए योजना और अमृत धरोहर आर्द्रभूमियों और इसके आसपास स्थित क्षेत्रों में पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देते हैं।

सरकार ने वर्ष 2020-21 से 2026-27 की अवधि के दौरान शहरवासियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के अलावा शहरी और उपनगरीय क्षेत्रों में वन क्षेत्र से बाहर वृक्ष उगाने, हरित आवरण, जैव विविधता में वृद्धि और पारिस्थितिक लाभों को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने के उद्देश्य से देश में 600 नगर वन और 400 नगर वाटिका विकसित करने के लिए नगर वन योजना (एनवीवाई) शुरू की है। इस योजना के तहत बाड़ लगाने, मृदा-नमी संरक्षण उपायों और इससे संबंधित कार्यकलापों, प्रशासनिक कार्यकलापों, वृक्षारोपण और उनके रखरखाव की लागत की पूर्ति हेतु काम्पा के राष्ट्रीय प्राधिकरण के तहत निधियों से केंद्रीय अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

अब तक देश के 28 राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्रों में नगर वन योजना के तहत 699.33 करोड़ रुपये की कुल लागत से 652 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है।

प्रतिपूर्ति वनीकरण निधि (सीएएफ) अधिनियम, 2016 के तहत स्थापित राष्ट्रीय काम्पा प्राधिकरण, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक संचालन योजना को मंजूरी देता है जिसमें प्रतिपूर्ति वनीकरण, सहायतित प्राकृतिक पुनर्जनन, कृत्रिम पुनर्जनन और अन्य पारिस्थितिक पुनर्स्थापना कार्यकलाप शामिल हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को प्रतिपूरक वनीकरण, सहायतित प्राकृतिक पुनर्जनन और कृत्रिम पुनर्जनन के लिए 3,583.64 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (जीआईएम) राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के तहत नौ मिशनों में से एक है। इसका उद्देश्य संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (जेएफएमसी) के माध्यम से वन और गैर-वन क्षेत्रों में पारिस्थितिकी-पुनर्स्थापना/वृक्षारोपण कार्यकलाप करके भारत के वन क्षेत्र की सुरक्षा, पुनर्स्थापना और वृद्धि करना है।

पिछले 3 वर्षों (वर्ष 2023-24 से 2025-26) के दौरान 31,114 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण/पारिस्थितिकी-पुनर्बहाली के लिए पंद्रह राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को 326.85 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

तटीय क्षेत्र विनियमन (सीआरजेड) अधिसूचना, 2019 के तहत मैंग्रोव को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ईएसए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

तटीय पर्यावास और मूर्त आय मैंग्रोव पहल (एमआईएसटीआई) कार्यक्रम, भारत सरकार द्वारा मैंग्रोव को अद्वितीय, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में बहाल करने और बढ़ावा देने तथा तटीय पर्यावासों की संधारणीयता को संरक्षित करने और बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। अब तक, 9,536 हेक्टेयर अवक्रमित मैंग्रोव क्षेत्रों की बहाली के लिए पांच राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र को कुल 88.44 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के उपायों में चिन्हित एकल उपयोग प्लास्टिक (एसयूपी) वस्तुओं पर प्रतिबंध, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 (यथा संशोधित) का कार्यान्वयन, प्लास्टिक पैकेजिंग के उत्पादकों पर विस्तारित उत्पादक उत्तरदयित्व (ईपीआर) संबंधी दायित्वों का प्रवर्तन और संग्रहण, पृथक्करण, पुनर्चक्रण में सुधार और जन जागरूकता के माध्यम से प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन को मजबूत करना शामिल है। ईपीआर नियमों के कार्यान्वयन के बाद से (फरवरी, 2022 से), ईपीआर पोर्टल पर 65,241 उत्पादकों और 3117 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रोसेसरों को पंजीकृत किया गया है और 232.65 लाख मीट्रिक टन प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट को पुनर्चक्रित किया गया है।

परिवेश पोर्टल सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में पर्यावरण, वन, वन्यजीव और तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) संबंधी मंजूरी के लिए प्रस्तुत करने और कार्रवाई करने तथा मंजूरी के पश्चात अनुपालन निगरानी के लिए एकल-खिड़की डिजिटल प्लेटफॉर्म है।

वर्ष 2019 में प्रारम्भ होने के बाद से, परिवेश पोर्टल को परियोजना प्रस्तावकों द्वारा आवेदनों के ऑनलाइन जमा करने, प्रस्तावों की जांच, विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी)/राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) द्वारा मूल्यांकन, मंत्रालय/राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) द्वारा निर्णय लेने सहित प्रस्तावों का प्रारम्भ से लेकर अंत तक सभी संबंधित कार्यों की ऑनलाइन प्रक्रिया सक्षम करके मंजूरी प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। सरकार ने प्रौद्योगिकी-सक्षम सुधार के माध्यम से परिवेश को लगातार मजबूत और उन्नत किया है। इन पहलों ने पारदर्शिता बढ़ाई है, निर्णय लेने में सुधार किया है और प्रस्तावों की त्वरित प्रक्रिया को सुगम बनाया है।

निरंतर प्रक्रिया सुधारों, डिजिटल वर्कफ्लो आटोमेशन और परिवेश के माध्यम से नियमित निगरानी के परिणामस्वरूप, केंद्रीय स्तर पर पर्यावरण मंजूरी के लिए लगने वाला औसत समय वर्ष 2014 में लगभग 600 दिनों से घटकर वित्त वर्ष 2025-26 में लगभग 57 दिन हो गया है। इसी तरह के सुधार राज्य स्तर पर भी दिखाई दे रहे हैं।

राज्य सरकार का खान और भूविज्ञान विभाग, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के उपबंधों के तहत अवैध खनन की रोकथाम सहित खनन कार्यकलापों के विनियमन और प्रवर्तन के लिए नोडल प्राधिकरण है।

जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण प्रबंधन से संबंधित मामलों को संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निपटाया जाता है।

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981, जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2023 के माध्यम से संशोधित और जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 2024 के तहत अधिनियम के उपबंधों या उसके तहत बनाए गए नियमों या आदेशों या अधिनियम के तहत जारी निर्देशों के उल्लंघन करने पर 15 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।, जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार वैध मंज़ूरी के बिना खनन सहित औद्योगिक कार्यकलाप भी दंडनीय हैं।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा जारी दिशानिर्देशों/मापदंडों नामत: जल गुणवत्ता निगरानी दिशा-निर्देश, 2017 के दिशानिर्देशों के अनुरूप राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियाँ (पीसीसी) जलीय संसाधनों की जल गुणवत्ता की निगरानी करती हैं। जैव-रासायनिक ऑक्सीजन मांग (बीओडी) के स्तर के रूप में मापे जाने वाले आर्गेनिक लोड के आधार पर प्रदूषित नदी खंडों (पीआरएस) की पहचान के लिए जल गुणवत्ता आंकड़ों का उपयोग किया जाता है।

सीपीसीबी द्वारा चिह्नित सभी प्रदूषित नदी खंडों को स्नान प्रयोजनों के लिए उपयुक्त (अर्थात बीओडी <3 मिलीग्राम/ली. और एफसी <500 एमपीएन/100 मि.ली.) बनाने के लिए नदी पुनरुद्धार समितियों (आरआरसी/एस) द्वारा चिन्हित पीआरएस के पुनरुद्धार के लिए व्यापक कार्य योजनाएं तैयार की गईं। कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा राज्य स्तर पर आरआरसी द्वारा और केंद्रीय स्तर पर जल शक्ति मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में गठित केंद्रीय निगरानी समिति (सीएमसी) द्वारा की जाती है। देश में प्रदूषित नदी खंडों की संख्या वर्ष 2018 में 351 से घटकर वर्ष 2025 में 296 हो गई है।

उत्तर प्रदेश में 14 नदियों पर 16 प्रदूषित नदी खंडों की पहचान की गई। वर्ष 2025 में उत्तर प्रदेश में गंगा के अलावा 13 नदियों पर 14 प्रदूषित नदी खंडों की पहचान की गई। विवरण **अनुलग्नक-I** पर संलग्न हैं।

अनुलग्नक-I

वर्ष 2025 से उत्तर प्रदेश में गंगा के अलावा अन्य नदियों पर पहचान की गई पीआरएस

क्र.सं.	नदी	प्रदूषित नदी खंड/स्थान	प्राथमिकता श्रेणी
1.	बहेला	बादली गांव में बहेला नदी लोहिया पुल, टांडा (उ.प्र.)	I
2.	काली पूर्व	खरखौदा-परीक्षित गढ़ रोड पर काली नदी पूर्वी, ग्राम कोल, मेरठ	I
3.	हिंडन	हिंडन नदी सहारनपुर डी/एस से नोएडा डी/एस तक	I
4.	काली नदी	कालीनदी मुज़फ़्फ़र नगर के क्षेत्र से गुमटिया गाँव,कन्नौज तक	I
5.	यमुना	असगरपुर से मोहना तक यमुना नदी	I
6.	यमुना	शाहपुर से हमीरपुर तक यमुना नदी	II
7.	गोमती	मोहमीक से वाराणसी तक गोमती नदी	III
8.	वरुण	वरुणा नदी बी/सी से गंगा के साथ रामेश्वर तक	III
9.	घाघरा	घाघरा नदी बरहलगंज से तुर्तीपार,देवरिया डी/एस तक	IV
10.	राप्ती	राप्ती नदी ए/सी होनिन नदी से राजघाट, गोरखपुर	IV
11.	रिहंद	रेनुकुट डी/एस, उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी	V
12.	सरयू	अयोध्या में सरयू नदी, मुख्य स्नान घाट, उ.प्र.	V
13.	बेतवा	संगम से पहले बेतवा नदी हमीरपुर में यमुना डाउनस्ट्रीम में सुकमा-दुकमा बांध	V
14.	साई	साई नदी उन्नाव से जौनपुर तक	V
